प्रार्थीया अपनी उक्त हकीकी भूमि की सूरक्षा करने की अधिकारिनी है। प्रथम दृश्य केस प्रार्थीया के पक्ष में बनना पाया जाता है। वादीया अपने मृत पुत्र कर्मजीत सिंह ग्रेवाल के 1/3 हिस्सा की अकेली वारिस होने के नाते उक्त भूमि के खातेदार घोषित होने की अधिकारी है। प्रतिवादी सं० 1 वादीया का पति है। तथा प्रतिवादी सं० 2 वादीया का पुत्र है जो वादीया के परिवार के सदस्य है। वादीया वादगत भूमि वादीया के नाम से दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी सं० 1 व 2 को कई बार कहा परन्तु उन्होंने कोई गौर नहीं किया और आज से अर्सा 4 रोज पूर्व वादीया द्वारा अन्तिम बार प्रतिवादीगण को उपरोक्त भूमि वादीया के नाम दर्ज कराने के लिये कहा तो वह साफ इन्कॉर हो गये और धमकी देने लगे कि हम 2/3 हिस्सा भूमि लेकर रहेगें तथा वादीया को वादगत भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर देगें। वादी प्रतिवादगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पाने की भी अधिकारिनी है। कि वोह वादगत भूमि में वादीया के कब्जा काश्त में कोई दखलदान्जी नहीं करें। वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र वादीया निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें। तहसील पदमपुर के चक 38 आरबी की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता सं० 30 के मुरबा नं० 4 के किला नं० 4 से 7, 14 से 17, 24, 25 की 2.328 है० व मुरबा नं० 10 के किला नं० 11 से 24 की 3.542 है० व मुरबा नं० 19 के किला नं० 1 से 4 की 1.012 है० व मुरबा नं० 28 के किला नं० 23/2 की 0.063 है० कुल 6.945 है० मुशर्तका खाता में वादीया के मृत पुत्र कर्मजीत सिंह ग्रेवाल पुत्र जगतार सिंह के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी, चक जीवनदेसर की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता सं० 251 के मुरबा नं० 125 के किला नं० 11 ता 25 की 3.795 है०, मुरबा नं० 126 के किला नं० 11/2, 12/2, 19, 20,21 की 0.549 है० में वादीया के मृत पुत्र कर्मजीत सिंह ग्रेवाल के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी, चक 31 आरबी प्रथम की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता सं० 25 के मुरबा नं० 14 के किला नं० 16, 17, 23 ता 25 सालम की 1.265 है०, मुरबा नं० 15 के किला नं० 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है० कुल 2.530 है० मुर्शतका खाता में वादीया के मृत पुत्र कर्मजीत सिंह ग्रेवाल के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी, चक जीवनदेसर के खाता सं० 55 के मुरबा नं० 70 की 3.163 है० में वादीया के पुत्र कर्मजीत सिंह ग्रेवाल के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि का वादीया को खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा दी जायें कि वोह वादगत भूमि में वादीया के कब्जा काश्त मे कोई दखलदाजी नहीं करें।

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2019.12.26 13:37:50 IST
Reason: SelfAttested